29-10-20 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष [illegible] अनु. । पत्रावली वास्ते बहस [illegible] दि. 3-12-20 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई / उभयपक्ष पक्षकार उपस्थित/P.O.
3-12-20 सा राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 14-1-21 ... को पेश हों।

हस्ताक्षर रीडर

14-1-21 उभय पक्ष [illegible] अनु. । पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि 21-1-21 को पेश हो।

21-1-21 वकील [illegible] अनु. । पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि 28-1-21 को पेश हो।

28-1-21 ~~[illegible] लिये से बाद जांच दर्ज रजिस्टर में पेश हुआ~~
~~प्रतिवादी [illegible] सम्मन [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब~~
~~दि.............. पेश हो~~

~~उपखण्ड मजिस्ट्रेट~~
सीमलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई / उभयपक्ष पक्षकार उपस्थित/P.O.
सा राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 4-2-21 ... को पेश हों।

हस्ताक्षर रीडर

4.2.21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। बहस सुनी गई। माननीय अपील अधिकारी [illegible] द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय दिनांक 28.2.2008 निरस्त कर प्रकरण में निर्धारित वादों का धारा 11 जा.दी. के तहत विश्लेषण कर व पक्षकारों को सुनकर निर्णय करने का आदेश दिया था। वकील वादीगण ने बताया कि इसी आराजी को लेकर सर्वप्रथम दिनांक 2.6.90 को खातु पि. मगना वगैरा ने दावा पेश किया था जिसमें निर्णय दिनांक

उपखण्ड अधिकारी

21/5/97 को होकर वाद वादीगण खातु s/o मगंला वगैरा को खारीज कर डीक्री किया गया जिसकी बाबत s/o मगंला ने अपील RAA डुंगरपुर में अपील नं. 15/97 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 30.5.98 को होकर अपील अपीलांट खातु s/o मगंला वगैरा खारीज की गई। तत्पश्चात पुनः खातु s/o मगंला केवलचन्द वगैरा द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा के समक्ष दिनांक पेश हुआ जिसमे 98/2004 मे निर्णय जारीए राजीनामा दिनांक 31.01.2006 को होकर अंतिम डीक्री जारी कर बरकरार किया गया। इसी निर्णय दिनांक 31.01.2006 के विरूद्ध कचरु के वारीसान दिनेश वगैरा ने 76/2006 पेश किया कि निर्णय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 31.01.2006 वाद नं. 98/2004 जारीए राजीनामा खारीज किया जावे इस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 28.2.2008 दिया जाकर धारा 11 जा.दि. के आधार पर वाद 76/2006 खारीज किया गया जिसके विरूद्ध दिनेश/कचरु वगैरा के अपील RAA डुंगरपुर मे 187/2008 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 30.12.2015 को होकर निर्णय दिनांक 28.2.2008 खारीज कर पुनः धारा 11 जा.दी. पर पुनः निर्णय दिये जाने के आदेश हुए। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि निर्णय जारीए राजीनामा दिनांक 31.1.2006 को खारीज किया जावे क्योंकि उसपर दोनो प्रतिवादी गणो कचरु व नगजी के हस्ताक्षर नही है तथा केवल कचरु के ही हस्ताक्षर है अतः राजीनामा खारीज किया जावे वकील प्रतिवादी ने बताया कि कचरु के राजीनामे पर हस्ताक्षर है तथा वह सहमत था इसके वारीसान वापस दावा नही ला सकते है तथा नगजी व उसके वारीसान ने आज दिनांक तक कोई

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आपत्ति पेश नहीं कि है अतः खारिज से हुई
डीग्री को बहाल रखा जाकर वादवाद
खारिज किया जावे।

उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया।
संलग्न दस्तावेज, पत्रावली व निर्णयों का अवलोकन
किया गया। SDM न्यायालय द्वारा पारित
निर्णय दिनांक 31.1.2006 बदलने का अधिकार
अपीलान्ट कोर्ट को था जहां वादीगणों ने कोई
अपील नहीं की तथा उसी जमीन के लिए
पुनः इसी कोर्ट मे दावा पेश किया जो क्षेत्राधिकार
हीन होने से खारिज किया जाता है।
निर्णयानुसार डीग्री पर्चा जारी हो। पत्रावली
खारिज होकर दाखिल दफ्तर की जाती है निर्णय
दिनांक 04.2.204 को खुले न्यायालय मे
सुनाया जाकर पत्रावली फैसल हो।

4.2.204
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा